**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 45/2018 (राजसमन्द डिक्री)**

1. कैलाश पिता मांगीया भील, निवासी गुड़ली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती लेहरीबाई पत्नी स्वर्गीय शंकरलाल भील, निवासी गुड़ली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

................ अपीलान्टगण

**बनाम**

1. रूपा पिता किशना भील, निवासी गुड़ली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. गोमू पिता शंकर भील, निवासी गुड़ली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. हीरालाल पिता मांगीया भील, निवासी गुड़ली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. पिंकू पिता मांगीया भील नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती जमना देवी, निवासी गुड़ली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. मथुरालाल पिता छगुडा खटीक, निवासी राजनगर
6. कैलाश पिता डालू, निवासी भावा, जिला राजनगर
7. भैरूलाल पिता डालू, निवासी भावा, जिला राजनगर
8. आयुक्त नगरपालिका, राजसमन्द (राज.)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

................ रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थन
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दि. 19.07.2018 प्र.सं. 208/2008

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री दिग्विजयसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री प्रवीण मण्डोवरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7
3– श्री मुकेश औस्तवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8
4– श्री पैरोकार [illegible] रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:29:09 IST
Reason: SelfAttested

नि[illegible] दिनांक 30–1–2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार [illegible] कि अधिनस्थ न्यायाल[illegible]ाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पूर्वाधिकारी एक ही परिवार के सदस्य होकर मूल पुरूष किशना जी के वारिस हैं, जिनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार है। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम गुडली में आराजी नंबर 351 रकबा 15 बिस्वा एवं आराजी नंबर 352 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। वर्तमान आराजी नंबर 351 के साबिक आराजी नंबर 281 तथा आराजी नंबर 352 के साबिक आराजी नंबर 279 थे। उक्त कृषि आराजियात में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा माफिक रेकार्ड है। उक्त आराजियात किशना वल्द भेरा के खातेदारी आधिपत्य की थी, किन्तु सेटलमेन्ट के अधिकारियों ने वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पूर्वाधिकारी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाकर प्रतिवादी संख्या 6 मथुरालाल के नाम दर्ज कर दिया, जबकि मथुरालाल जी को वादीगण के पूर्वाधिकारी ने कभी भी भूमि का हस्तान्तरण व अन्तरण नहीं किया है। वादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, जबकि प्रतिवादी संख्या 6 मथुरालाल अनुसूचित जाति का सदस्य है ऐसी स्थिति कानूनन किसी प्रकार का हस्तान्तरण व अन्तरण विधि विरूद्ध होकर शून्य है। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 6 ने प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में भूमियों का अन्तरण कर दिया है, जो आरम्भ से शून्य है। भूमियां प्रतिवादी संख्या 7 के नाम गलत अंकित हो जाने के कारण वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 7 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

प्रतिवादी संख्या 7 ने खण्डन जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमियों का आवासीय रूपान्तरण हो चुका है तथा मकान बने होकर लोग निवास कर रहे हैं। वादी व अन्य किसी प्रतिवादी का उक्त आराजियात में कोई हक हिस्सा नहीं है। रूपान्तरित भूमियों का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होने से वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम की गयी तथा अपने निर्णय दिनांक [illegible]-07-[illegible]18 से राजस्व न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं होने के आधार पर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08-08-2018 को प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:29:09 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से अभिभाषक श्री प्रवीण मण्डोवरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश ओस्तवाल तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय पूर्व में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 दिनांक 07–07–2014 को खारिज कर दिया था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा उठाये गये जवाबदावे के आधार पर आदेश 7 नियम 11 के तहत ही श्रवणाधिकार नहीं मानकर वाद खारिज किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। एक बार जब किसी न्यायालय द्वारा किसी बिन्दु पर आदेश पारित कर दिया जाता है तो पारितकर्ता न्यायालय द्वारा विड्रो या अपास्त नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियां भी कायम की गयी थी, किन्तु प्रारम्भिक तनकियां बिना अन्य तनकियों की साक्ष्य का अवलोकन किये निर्णित कर दिया, जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों से परे है। आदेश दिनांक 07–07–2014 की कोई अपील अथवा निगरानी प्रत्यर्थीगण द्वारा नहीं की गयी है, जिससे उक्त आदेश आज भी अक्षुण्य है तथा जिस न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है वह उसे निरस्त नहीं कर सकता है। अधिनस्थ ने अकेले तनकी नंबर 1 का निर्णय पारित करने में गम्भीर विधिक त्रुटि की है जो कि क्षेत्राधिकार एवं परिसीमा का प्रश्न तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है तथा मिश्रित साक्ष्यों का निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा विधिक प्रकिया के तहत साक्ष्यों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरे AIR 1960 SC Page 941, AIR 2001 Raj. Page 51, AIR 2006 SC Page 3672, AIR 2019 SC Page 5125, DNJ 2014 (4) Raj. Page 1461 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए [illegible] रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि विवादित भूमि आवासीय [illegible] न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर [illegible] अपीलान्ट / वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सा[illegible] होने से खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:29:09 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा न्यायिक नजरों का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है विवादित आराजी नंबर 351 व 352 कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा का आवासीय रूपान्तरण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाकर दिनांक 29–08–1996 को पट्टा भी रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 7 भैरूलाल के नाम जारी किया जा चुका है, जिसका विवेचन अधिनस्थ न्यायालय ने अपने तनकी नंबर 1 में किया है तथा उक्त भूमि आवासीय रूपान्तरित हो जाने के आधार पर राजस्व न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं मानकर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनका हमारे द्वारा अवलोकन किया गया, किन्तु उक्त न्यायिक नजीरों के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–07–2018 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30–01–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
सत्यमेव जयते

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:29:09 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत...........भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............उदयपुर............

व इजलास ..............................प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .........................................

| | | |
|---|---|---|
| कैलाश पिता मांगीया भील, निवासी गुड़ली, तहसील राजसमन्द व अन्य | बनाम | रूपा पिता किशना भील, निवासी गुड़ली, तहसील व जिला राजसमन्द व अन्य |

अपील नं.....45 / 2018........व नाराजगी डिगरी अदालत ............उपखण्ड अधिकारी ................ ...........राजसमन्द....... मुकाम...............मुवर्खे........19.........माह..............07..............2018........................

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........30.........माह............01.......सन् 2024 रूबरू............पक्षकारान व हाजरी.........श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत........मिनजानिब अपीलान्ट व..........श्री प्रवीण मण्डोवरा

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि....... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19–07–2018 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X............)......रूपये ......... X......... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X .................................अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख...........30............माह...........01.............2024 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... ......... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा... | | |
| 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... | | | 2. स्टाम्प अर्जी .............. | | |
| 3. इजराय हुक्मनामा ....... | | | 3. इजराय हुक्मनामा ..... | | |
| 4. वकील फीस बाबत ......... | | | 4. मेहनताना वकील.......... | | |
| मीजान ..... | | | मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल [illegible], चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:29:09 IST
Reason: SelfAttested